



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-21-05-2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त तबरेज आलम को गोवध अधिनियम के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम 01 माह की सजा व कुल- 4050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना- लंका में पंजीकृत मु0अ0सं0-122/2014 धारा- 279, 307 भादवि व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त तबरेज आलम पुत्र शमीम अहमद निवासी जहागीर नगर गहुरा थाना खरखरेऊ जनपद फतेहपुर को थाना- लंका पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 21/05/2025 को मा0 न्यायालय स्पे0 जज भ्रष्टाचार नि0 अधि0 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- 279, 307 भादवि व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में अधिकतम 01 माह का साधारण कारावास व कुल- 4050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 04 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी